तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2357/2004/पाली** **मुस्लिम वक्फ कमेटी बनाम रूपाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रार्थी

श्री रूपाराम पुत्र श्री पोकर स्वयं अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 5–5–2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–4–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने एक वाद विरूद्ध प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के उपखण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92–ए के तहत प्रस्तुत कर किया । दौराने वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी मुस्लिम वक्फ कमेटी की सम्पत्ति से संबंधित है तथा राजस्व न्यायालय को इसकी सुनवाई की अधिकारिता नहीं है अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे । उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा अपने आदेश दिनांक 7–4–2004 से प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज करने में त्रुटि की है, क्योंकि अप्रार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है वह भूमि राजकीय व कब्रिस्तान की है तथा अतिक्रमियों को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है । जो भूमि गजट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2357/2004/पाली** **मुस्लिम वक्फ कमेटी बनाम रूपाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नोटिफिकेशन में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज की जा चुकी है उसके बारे में किसी प्रकार की आपत्ति किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती अपितु वक्फ एक्ट के तहत बनाये गए नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकती है तथा वर्तमान वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से श्रवण योग्य नहीं है किन्तु विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वाद राजस्व न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

4– इसके विपरीत अप्रार्थी रूपाराम ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि दोनों पक्षकारों ने आपस में बैठकर राजीनामा कर लिया है । अतः पट्टा बनाने का आदेश प्रदान करावें ।

5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक एवं अप्रार्थी रूपाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6– विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया है । यहाँ हम आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को उद्धृत करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार है–

11. Rejection of plaint.

The plaint shall be rejected in the following cases-
(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so ;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2357/2004/पाली** **मुस्लिम वक्फ कमेटी बनाम रूपाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; **(d)** where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law: **Provided** that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff. वाद पत्र में वर्णित तथ्यों और अभिकथन से बाहर जाकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत किसी वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वाद विधि से वर्जित है। यदि किसी अन्य बिन्दुओं के विनिश्चयन हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर, प्रतिवाद–पत्र अथवा प्रार्थना–पत्र में वर्णित अतिरिक्त कथनों को पढना पड़े अथवा अन्य दस्तावेजात का अवलम्बन लेना पडे तो ऐसे मामले में दावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज नहीं किया जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2054–2057 में खसरा नंबर 5677 रकबा 43.54 भूमि पहाडिया व पर्वत पहाड दर्ज है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया है एवं उस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाहियाँ भी चली है जिसमें भी उक्त खसरा नंबर गैर मुमकिन पहाड़ ही दर्ज है । इससे प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बनता है । इस कारण विचारण न्यायालय ने सभी बिन्दुओं का परीक्षण करने के उपरान्त प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। 7– पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामें का प्रार्थना–पत्र दिनांक 17–1–2022 एवं दिनांक 25–4–2022 का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में ऐसे राजीनामें के आधार पर कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2357/2004/पाली** **मुस्लिम वक्फ कमेटी बनाम रूपाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । यदि राजीनामा का कोई तथ्य भी है तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है । हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित कर प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है । 8– उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	